JALAUN POLICE

दिनांक – 02.03.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना कदौरा पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुये 01 शातिर चोर को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 26.01.2025 को वादी ब्रह्म कुमारी शिवी पुत्री जगदीश सिंह नि0 हमीरपुर रोड कस्बा व थाना कदौरा की तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादिया के आश्रम में घुसकर चोरी की गयी जिसके संबन्ध में थाना कदौरा मु0अ0सं0- 14/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु थाना प्रभारी कदौरा को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 02.03.2025 को थाना कदौरा पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर शहादतपुर रोगी गांव से आगे पीली कोठी बम्बा के पास से 01 शातिर चोर को चोरी के माल 01 अदद TVS मोपेड गाड़ी एवं जेवरात (01 गिलास, 02 कटोरी, 01 चम्मच, 02 जोड़ी पायल व 01 जोड़ी बच्चो के हांय कंगन सफेद धातु) व 275500 /- रूपये (दो लाख पछत्तर हजार पांच सौ रूपये) के साथ गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्त की निशादेही पर चोरी का एक ट्रैक्टर (मु0अ0स0 78/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित) बरामद कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैने लगभग एक सबा महीने पहले कदौरा मे कंजड डेरा के पीछे मन्दिर वाले आश्रम से रूपये व भगवान के बर्तन चोरी किये थे ये वही रूपये व बर्तन हैं कुछ रूपया खर्च हो गया है। अन्य चोरी के बारे में पूछा तो बताया कि लगभग 40 से 50 दिन पहले मैने एक ट्रेक्टर भोगनीपुर से आगे एक भट्ठे से चोरी किया था जिसको लेकर मैं जनपद हमीरपुर व अन्य जगहों पर चलाता रहा फिर मुझे जानकारी हुयी कि ट्रेक्टर मालिक मेरी तलाश कर रहा है तो मैने उक्त ट्रेक्टर को ग्राम शहादतपुर रोगी के आगे मजार वाली कच्ची रस्ता पर किनारे पर खडा करके बेटरी निकालकर हमीरपुर की तरफ चला गया वहीं पर बैट्री मैंने बेंच दी थी। दिनांक 27.02.2025 को कुम्भ मेला प्रयागराज से TVS मोपेड गाड़ी चोरी की थी। जिसको बेचने के उद्देश्य से लेकर जा रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

अभियुक्तगण से माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कदौरा में पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त का विवरण-

1. बेनी प्रसाद कुशवाहा पुत्र पूरन कुशवाहा निवासी छोटीभेड़ी थाना कदौरा जनपद जालौन उम्र करीब 32 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 14/25 धारा 305(A)/331(4)/317(2) BNS थाना कदौरा जनपद जालौन
2. मु0अ0स0 78/25 धारा 303(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
3. E-F.I.R NO- 20250000146622 (पुलिस कम्पयूटर केन्द्र तकनीकी मुख्यालय लखनऊ सम्बन्धित कमिश्नरेट प्रयागराज)

बरामदगी का विवरण-

1. 275500 /- रूपये (दो लाख पछत्तर हजार पांच सौ रूपये) चोरी के
2. 01 गिलास, 02 कटोरी, 01 चम्मच, 02 जोड़ी पायल व 01 जोड़ी बच्चो के हांय कंगन सफेद धातु
3. 01 ट्रैक्टर (मु0अ0स0 78/25 धारा 303(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित)
4. 01 अदद TVS मोपेड गाड़ी (कुम्भ मेला प्रयागराज से चोरी)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. थानाध्यक्ष कदौरा मय पुलिस टीम।